बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्याः— 2/अ0प्र0—1—99/2022 607 /पटना, दिनांक :— 21·2·24

औरंगाबाद जिला अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विभिन्न पथों के Ongoing/Maintenance कार्यों की राज्य गुणवत्ता समन्वयक, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 643 दिनांक 12.12.2022 के माध्यम से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में निर्माणाधीन योजना में पाई गई त्रुटि/अनियमितता यथा WBM Grade-III Gradation test अनुज्ञेय सीमा के बाहर पाए जाने, Filler Material की मात्रा Permissible limit से अधिक पाये जाने, रामरेखा नदी के उपर निर्माणाधीन पुल के Return Wall में Honeycombs पाये जाने, Abutement के पीछे Filter Media का कार्य किया हुआ नहीं पाये जाने, Expansion Joints में Elastomer/Strip seal के स्थान पर थर्मोकोल का प्रयोग किये जाने, Drainage spouts की जगह Plastic pipes का प्रयोग किये जाने एवं Embankment में subgrade की जगह मिट्टी का ही कार्य किया हुआ पाये जाने तथा अनुरक्षणाधीन पथों में अपेक्षित अनुरक्षण कार्य नहीं कराये जाने के कारण इन पथों को 'असंतोषजनक' श्रेणी प्रदान किये जाने संबंधी आरोपों के लिए श्री युगेश्वर कुमार सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल औरंगाबाद से विभागीय पत्रांक 2162 दिनांक 19.12.2022 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई।

2. श्री सिंह द्वारा पत्रांक 2475 दिनांक 21.12.2022 के माध्यम से समर्पित स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया कि विषयांकित पथ PMGSY-III एवं PMGSY-I योजना से आच्छादित है जिसमें कार्य अभी किया जा रहा है। वर्णित सभी चालू योजना में कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं संवेदक को लगातार मौखिक एवं लिखित निदेश दिया जाता रहा है। जहाँ तक पंचवर्षीय योजना से आच्छादित पथों का प्रश्न है, इसके संबंध में भी संवेदक/कनीय अभियंता/सहायक अभियंता के साथ लगातार बैठक किया जाता रहा है। जाँच में सभी पथों का पथ क्रस्ट सही ही पाया गया है। जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख के पूर्ण अवलोकनोपरान्त ही विस्तृत स्पष्टीकरण समर्पित किया जाना संभव हो सकेगा।

3. श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि जाँच प्रतिवेदन में इंगित त्रुटी/अनियमितता श्री सिंह की योजनाओं के पर्यवेक्षण में कमी एवं कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। अतः उसे अस्वीकार करते हुए श्री सिंह के विरूद्ध उपर्युक्त आरोपों पर आरोप पत्र गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत अधिसूचना सं0—205—सह—पठित ज्ञापांक—206 दिनांक—18.01.2023 द्वारा मुख्य अभियंता—1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इसके निमित्त श्री अजीत कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता—1 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 3372 अनु0 दिनांक 13.10.2023 के माध्यम से उक्त विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें श्री युगेश्वर कुमार सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को अप्रमाणित पाये जाने का मंतव्य अंकित किया गया।

5. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग से समीक्षा कराई गई। अभियंता

प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव द्वारा समीक्षोपरान्त यह मंतव्य अंकित किया गया कि जाँच की तिथि तक त्रुटिपूर्ण कार्य की मापी नहीं ली गयी थी और ना ही संवेदक को भुगतान किया गया था। संवेदक द्वारा पथ में वांछित सुधार के उपरान्त क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गया द्वारा उन सुधारों की जाँच की गयी। जाँच प्रतिवेदन में निर्माण सामग्री की विशिष्टि अनुमान्य सीमा के अधीन पायी गयी। NQM द्वारा भी दिनांक–22.02.2023 को की गयी जाँच में मेटल का ग्रेडेशन तथा Filler Material मानक के अनुरूप पाया गया। अतएव संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत हुआ जा सकता है।

6. मामले की समग्र समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री सिंह को प्रश्नगत आरोप से मुक्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

7. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री युगेश्वर कुमार सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल औरंगाबाद को प्रश्नगत मामले में आरोप मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डॉ0 फतेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–1–99/22 608 /पटना, दिनांकः– 21.2.24

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी. के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–1–99/22 608 /पटना, दिनांकः– 21.2.24

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–2/अ०प्र०–1–99/22 608 /पटना/दिनांकः– 21.2.24

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद/हाजीपुर/उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ श्री युगेश्वर कुमार सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद सम्प्रति कार्यपालक अभियंता , ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–1–99/22 608 /पटना/दिनांक:– 21.2.24

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–2/अ०प्र०–1–99/22 608 /पटना/दिनांक:– 21.2.24

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/02/24

संयुक्त सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in